

प्रमाणित परिशोधना	डी.ओ.डी. जॉन	अन्य हाई पोटेन्शियल क्षेत्र	विकास प्राधिकरण की अधिकारिता
राज्य के भू	कॉन्सिडर टी.ओ.डी. जॉन	-	राज्य के विकास प्राधिकरण
कानपुर भू	कॉन्सिडर टी.ओ.डी. जॉन	-	कानपुर विकास प्राधिकरण
मेरठ - राजस्थानाद - मेरठ	कॉन्सिडर टी.ओ.डी. जॉन	निम्न विकास क्षेत्र (इ.सी.ए.) जैस कि राजस्थानाद और मेरठ महयोजना में निर्धारित है	राजस्थानाद विकास प्राधिकरण
मेरठ भू	कॉन्सिडर टी.ओ.डी. जॉन	-	मेरठ विकास प्राधिकरण
आगरा भू	कॉन्सिडर टी.ओ.डी. जॉन	-	आगरा विकास प्राधिकरण

(राज्य प्रदेश सरकार से विचार-निर्णय के आधार पर भरा जायेगा)

४ पारसगानव । अथ हि, राजसम आआइएइएइ। आधारात सय साहसे ताजामका । आन मया
भीषण का परिशीलन प्रवर्द्धित हो और स्पष्ट ही परिसीलन की महिमा एवं त्वरक
आधार भी हो ।

2. विद्यमान स्थिति का मूल्यांकन, उत्तरकृष्टी का विशेषण, अनुमान और गंगा-आपूर्ति आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए रिपोर्ट—

- भौतिक विशेषताएं प्रथम—शेड नेडवार्क, गालेव्री, आरए—पास/संलग्न उपची*, खीमा
विन्तु: हरित क्षेत्र विकरण, निर्मित क्षेत्र आदि।
- बाह्य एवं विद्यमान सेवाओं और निष्कास नोट के आस-पास निम्नित सेवा प्रदाता
ए.एस.एस. जैसे स.प्र. सल निगम, लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण
विभाग, आई.जी.एस., टेलीफोन ऑफिस, स्थानीय निगम, स्थानीय प्राधिकरण,
आदि द्वारा किए गए अन्य सार्वजनिक इकायों का समीक्षण/सुधारविभाग।

• बांधू एवं विद्यमान स्तंभों और निक्षाल नोड के आस-पास विभिन्न सेवा प्रदाता एंजिनियरों जैसे स.प्र. सल नियम, लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आई.जी.एस., टेलेफोन ऑफिसर, रधानिय विभाग, सिविल इंजिनियर, आदि द्वारा किए गए अन्य सार्वजनिक इकायों का समायोजन/सुव्यवस्थापन।

नैविण्यं सुवरञ्जनाभा महोदयिष्यताम् ॥
 ऐक्यशिल्पिनिव आभिरुह्यते ॥

५. सङ्को
६. जल-अपूर्ति
७. मल-निर्वास
८. क्षेत्र
९. लोम आमंशक
१०. सिङ्क
११. गैरा पदस्थानाइन
१२. इतिहासक पत्र

सांख्यिक अवस्थापना मानचित्रों में निम्नलिखित शामिल होगी:-

- ७ विविधिः सा
७ शिः ।
७ प्रियाङ्गु-सोमः
७ सुखा सुखः
७ सुखा सुखि शमन
७ प्रान्तिङ्गु-सुखः सुखः

० राष्ट्रक के चौदह और अठारहवाँ की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित है।

- कौशल और सामाजिक अवस्थान सेवाओं के उपाय/सामर्थ्य, समीपवर्ती क्षेत्रों से संयोजन, खुले स्थानों, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक सुविधाओं, आदि (सोनी प्रयोग करें), के सुझाव हेतु संरूपित।
 - नोड नियंत्रण के लिए मयन, उद्देश्य, टी.ओ.डी. स्क्रीन के लिये पार्किंग मानचित्र, वास्तु संबंधी नियंत्रण, अर्बन डिजाइन गार्डललाइन्स, यदि कोई हो।
 - सड़क वीक्षिकरण अथवा सार्वजनिक मार्गों को पीढ़ी रखने वालों/चलने योग्य बन कर आतायात अवस्थानों के सुधार लक्ष्य एन.एन.टी./साइकल लेन, मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन, बहु-उपयोगिता ज़ोन्स, सार्वजनिक पार्किंग वही व्यवस्था, स्ट्रीट फर्नीचर संगत लिट्ट आदि के लिये संरूपित।
 - पार्किंग स्थान और एन.एन.टी.पी, दशहल पार्किंग इन्फ्रेस्ट्रक्चर, आदि के लिये सर्वे का विश्लेषण, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं—
 - टी.ओ.डी. ज़ोन में विद्यमान सुविधाएँ, और
 - प्रयोजित पार्किंग आवश्यकता (व्हालेंटिंग, जनसंख्या सहित)
 - नोड विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर इन्फ्रस्ट्रक्चर/अकोर्डेबल आइडिंग एवं ई.डब्ल्यू.एस, आवश्यकताएँ, यदि कोई हो, के लिये प्रावधान, और
 - धुनविनाश योजनाओं/सुधार/सुलभता निवारण, अनौपचारिक ऐम्पल, वॉलिंग/हॉलर जोन्स आदि के लिये स्थलों का विन्हीकरण।
- (ख) मांग का नूतनीकरण, डिज़ाइन, रणनीति का विश्लेषण और भू-उपयोग की विस्तृत योजना
- जहाँ टी.ओ.डी. ज़ोन का वीक्षिकरण क्षेत्र अधिकतम है अथवा हाई पोटेंशियल क्षेत्र हो, केवल वही प्रयोज्य होगी।
 - वास्तुविज्ञान पर डिजिटल/ऑनलाईन स्क्रीन का भू-उपयोग, डेसमिन्-टी.ओ.डी. ज़ोन को भीतर भूखण्डों के वर्गीकरण भू-उपयोग का विन्हीकरण।
 - सहरी भूमि और डेवलपर्स, प्रासंगिक क्षेत्रीय, अथवा और अन्तर-नगरिय (चौक) अवस्थानों और सुविधाएँ, सामाजिक-आर्थिक संसाधन, संरक्षण एवं सुरक्षा अवस्थाएँ, आदि के रणनीति में विद्यमान स्थिति का विश्लेषण और ग्रहण क्षमता का निर्धारण।
 - अधिक विकास स्थलविशेषों को पहचान करने के लिये वर्गीकरण और भू-विकास को प्रोत्साहित करने के लिये बाजार विशेषण करना।

विद्यमान प्रस्थिति, विशेषण, क्षेत्र विशेषण, गांव निर्धारण एवं स्टैकहोल्डर्स

कंसल्टेशन, सामर्थ्य, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों (सुसज्जित, औद्योगिक) की पहचान के आधार पर जोन के लिये स्टैकहोल्डर विजन निर्धारित करना;

• जागगी 30 वर्षों में विकास ग्राहकता, रणनीति विकास और अन्य संस्थाओं/स्टैकहोल्डर्स द्वारा प्रमुख परियोजनाओं और अस्थापना अंतर्गत की सिफारिश करना; मानविकीय कक्षा, कक्षा का निर्धारण और चरणों का निर्धारण (मैनिंग); जिसमें इसके अंदर अतिरिक्त परियोजनाओं के द्वारा प्रेमिनीयैलियो के जेनेटिक कक्षा भी शामिल है;

• विविध परियोजनाओं के बिंदु प्रेमिनीयैलियो रिपोर्ट, जिसमें परस्थिति निर्धारण, विकास के लिये विस्तृत ले आउट (हार्ड, प्रस्तावित अन्तर्गत, अवेधित अन्तर्गत का स्तर समितित है (एने अवेधितिकी), सड़की अभिकल्प और नियोजन, अवेधितिकी और निर्माण, परियोजना की लागत निर्धारण/द्वितीय योद्धा और संरचना, अवेधित अनुगोचन, परियोजना लागत, परियोजना की संरचना, सभी उपलब्धता की समीक्षा, पुनर्वस, पुनर्स्थापना और पर्यावरणीय सुरक्षा, आदि से संबंधित हैं);

• प्रक्षेपणों का आधार अन्तर्गत (विद्यमान) और विविध प्रमुख परियोजनाओं, टी.ओ.डी. जोन के लिये स्थानिक नू. उपयोग, मानविकीय रीकार करना;

• टी.ओ.डी. के विद्यमान स्तर एवं परिणाम में होने वाले/संभावित अन्य विकास के फलस्वरूप टी.ओ.डी. जोन के भीतर समग्र जनसंख्या घनत्व का निर्धारण;

• आगंतुकी, स्निम्की, आदि के कारण प्रजातिगत जनसंख्या में अवेधित वैश्विक परिवर्तन ---

• टी.ओ.डी. परियोजना के अन्तर्गत टी.ओ.डी. जोन के भीतर स्तर, आदि, विचारण की गणना के निर्धारण (विशेष स्तर 4.12)

• जोन की सेवा प्रेमिनीयैलियो का निर्धारण और सुकेतसंगत एवं मैक्रोमिनिंग पद्धति पर आधारित आगंतुकी 30 वर्षों के लिये प्रक्षेपण कक्षा, जिसमें अवेधित का कक्षा, स्थायिक प्रक्षेपण (आवर्तित स्तर) संबंधी वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक, गैर-जनसंख्या, औद्योगिक, आदि) समितित है, नागरिक अस्थापना और प्रेमिनीयैलियो के संवर्धन के लिये प्रक्षेपण;

• वर्तमान प्रक्षेपण और अवेधित प्रक्षेपण पर टी.ओ.डी. विकास का प्रभाव सेवा सेवा

● कला-समूर्ति-निर्माण-कार्य का पुनर्उपयोग भी शामिल है

● नल-विकास

● रोज

● होश-अवधारण

● विद्युत

● गैस-प्रणाली

● ऑप्टिकल-प्रणाली

सामाजिक अवस्थापना-समर्पण-में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

● स्वास्थ्य

● शिक्षा

● संयोज-सेवा

● सुरक्षा-प्रणाली

● सुरक्षा-प्रणाली-अवस्था

● सामाजिक-सांस्कृतिक-विकास

● नोट-विशेष-हेतु-गणन-उपदिष्ट, टीओडी के लिये-सर्वोच्च-वस्तु-संबंधी-नियंत्रण, अर्थात्-खिलाफ-आईडलाइज्ड;

● पब्लिक-ट्रांसिज-मल्टी-मीडल-इंटीग्रेशन-प्रणाली-और-अतिरिक्त-कार्य-संयोजन। और-संयोजक-के-लिये-समाप्ति-इसमें-परिणाम-अवस्थापना-समर्पण-सामाजिक-भागों-को-वैदिक-संलग्न-संलग्न-संयोज-बचने-और-एनएगटीव/साइकल-लेन, मल्टी-मीडल-इंटीग्रेशन, फीचर-संयोज, बहु-उपयोगिता-संयोज, सामाजिक-यात्रा-की-अवस्था, रोज-कर्मचारी-संयोज-आदि-के-प्रकार-के-लिये-संयोजित।

● या-इस-प्रकार-और-एनएगटीव/मीडल-प्रणाली-यात्रा, बेसिक-सर्विस, आदि-को-लिये-संयोज-या-बिन्तीकरण, जिसमें-निम्नलिखित-शामिल-है:-

● टीओडी-संयोज-में-विद्यमान-सुविधाएँ-और

● सामाजिक-आवश्यकता-का-प्रक्षेपण (इंजिन-अवस्था-सहित)

● इन्फ्रस्ट्रक्चर/अपग्रेडेशन-कार्य-और-इ-इन्फ्रस्ट्रक्चर-की-आवश्यकताओं-के-लिए-नोट-विशेष-के-सहित-व्यवस्था-और

बेअसर, पैना, जिवासी ट्रॉजिट और ईनिक आदर्शकताओं की पूर्ति के लिये आध्यात्मिक/कर्मिकों द्वारा बनायी गयी पैदल पट्टी की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी और परितगणरक्षण उससे जोन में प्रदूषण और भीड़-भाड़ में भी कमी होगी।

• मिश्रित भू-उपयोग को विकसित कर टीओडि जोन में कम्प/रोजगार, खरीददारी, सांस्कृतिक सुविधाओं, मनोरंजन की आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करना जिससे यात्रा करने की आवश्यकता में कमी होगी।

• विधिवानुषंगीय एवं ट्रॉजिट नेटवर्क के गद्य सूरक्षित एवं सहज आवागमन और गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) तथा पैदल चलने वालों के संयोजन के लिये विकास क्षेत्र के भीतर सड़क नेटवर्क की स्थापना करना।

• लिंजी वालों के स्वामित्व, सामाजिक और इससे जुड़ी मर्जिंग की गैर में कमी करना।

• टीओडि जोन के भीतर इनक्लूजिव प्रदर्शन की प्रेरित करना जिससे सामाजिक परिवहन पर निर्भर रहने वाले लोग ट्रॉजिट नेट से पैदल चलने की दूरी के भीतर गिरास मोनर समुदायों में रह सकें।

• टीओडि जोन में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों (हिंदुस्तान) और आर्थिक समतानुसार आवास की एक स्थान पर एककृत करना जिससे कुल आवास सम्पुर्ण में उनके लिए कुल निर्मित क्षेत्र का एक विहित अनुमान आदित करेगा।

• टीओडि जोन में उच्च गुणवत्तापूर्ण के जीवन के लिये अपेक्षा सभी प्रकार के अन्तर्-प्रदेश/मनोरंजन/खुले स्थान की व्यवस्था करना।

• गणन उपविधि में आवश्यक संशोधन करके महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और विभागीयों पर विशेष ध्यान देने हुए सुरक्षित समाज का विकास सुनिश्चित करना।

• ट्रॉजिट कारिडोर पट्टी की सुविधा प्रदान कर सकती हुई आवासी की एक सुसम्बद्ध क्षेत्र में सांस्कृतिक कसे हुए सही प्रकार की निर्धारित करना जिससे आवश्यक की सुदृढ़ होगा और अवस्थापना विकास लागत में भी कमी आयेगी और

• साइकल आउट के साथ-साथ पट्टी और विकास यात्राओं के लिए पथोपरजीय अनुकूल यात्रा विकल्पों को अपनकर के कार्बन उत्सर्जन में कमी करेगा।

विशेष उपकरण		विशेष उपकरण	उपकरण
1. उपकरण			
1.1 उपकरण (उपकरण)			
1.2 उपकरण			
1.3 उपकरण			
1.4 उपकरण			
1.5 उपकरण			
1.6 उपकरण			
1.7 उपकरण (उपकरण) / उपकरण / उपकरण			
2. उपकरण			
2.1 उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.2 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.3 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.4 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.5 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.6 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.7 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.8 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.9 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.10 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.11 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.12 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.13 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			
2.14 उपकरण (उपकरण) एवं उपकरण (उपकरण) के उपकरण			

2.18	सर्विस अप्पॉइन्टमेंट्स	
2.19	अस्पॉर्ड सिमेल, सर्विस, प्रदर्शन, भेला स्कोर	
2.20	डी रोमरे / सैन्टुस ओबेडिया सर्विस	
2.21	आईएस केडे	
2.22	ओइस प्रोग	
2.23	फेडोस / ओसल मैनिंग स्टेशन	
2.24	नैर प्रोडस / गैस ऑडिशन	
2.25	रफकारण, गेटिंग वेमरहाउस, रफकारण केन्द्र, अकाल कवाडराना	
3.	ऑटोमैटिक	
3.1	प्रोडक्शन सेवा / कुटीर उद्योग (अनुसूचित 2 के अनुसार)	
3.2	पूजन, प्रोड्यूसिमी / साफवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	
3.3	इलेक्ट्रॉनिक्स एन्ड कंजुमेक्शन मूनिट्स	
3.4	वायोटेक प्रोड	
3.5	निर्यात पार्क	
3.6	कैप प्रोड्यूसिंग सेक्टर	
3.7	साल सेक्टर	
3.8	से.पी.ओ.	
3.9	लघु उद्योग	
3.10	बूडस सर्विस, पुनर गैस, बडस सेक्टर, फ्लोर गैस	
3.11	सेक्टरगुले / अंतरराष्ट्रीय / प्रदूषणकारक उद्योग	
3.12	अनंत डैर / गैस का बरत, सेक्टर	
3.13	सेम डिपो / एल.पी.जी. सिगलिम अउट	
3.14	अस्युसिजिंग एनट / डूब रसिडुण केन्द्र	
3.15	विद्युत उद्योग संबन्ध सेक्टर	
4.	कार्परेट्स	
4.1	रफकारण, अर्द्ध-सजाकीय, स्थानीय निवास कार्यालय	
4.2	गि.पी. / कारपोरेट कार्यालय, स्पेण्ट कार्यालय, इत्यदि	
4.3	कैप	
4.4	ऑटोमैटिक / व्यापारिक कार्यालय	

4.6	भौतिक अनुसंधान केंद्र / वायुमंडल केंद्र / अंतरिक्ष
4.7	अनुसंधान एवं सर्वोच्च-कार्यक्षमता सुविधाएं
4.8	अतिथि भूत, निर्माण भूत, अभिनय / अभिनय केंद्र
4.9	अंतरिक्ष, वैमानिक
4.10	अंतरिक्ष
4.11	अंतरिक्ष
4.12	अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र
4.13	विश्वविद्यालय एवं विज्ञान केंद्र / अंतरिक्ष केंद्र
4.14	विश्वविद्यालय
4.15	अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र / अंतरिक्ष केंद्र
4.16	अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र / अंतरिक्ष केंद्र
4.17	अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र / अंतरिक्ष केंद्र
4.18	अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र / अंतरिक्ष केंद्र
4.19	अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र / अंतरिक्ष केंद्र
4.20	अंतरिक्ष केंद्र
4.21	अंतरिक्ष केंद्र
4.22	अंतरिक्ष केंद्र
4.23	अंतरिक्ष केंद्र
4.24	अंतरिक्ष केंद्र
4.25	अंतरिक्ष केंद्र
4.26	अंतरिक्ष केंद्र
4.27	अंतरिक्ष केंद्र

5.34 सोल, गान, अभ्युत्थिक एवं धार्मिक प्रसारण केन्द्र / सार्वजनिक स्थान

5.35 धार्मिक प्रसारण

5.36 सामुदायिक केंद्र, सांस्कृतिक केन्द्र

5.37 केंद्र

5.38 प्रयोग

5.39 वास्तव्य, दंडादि धारा

5.40 को-ऑपरेटिव / भौतिक धारा

5.41 वास्तव्य

5.42 को-ऑपरेटिव / धार्मिक केंद्र

5.43 को-ऑपरेटिव (धार्मिक) व धार्मिक कार्यालय / केंद्र

5.44 अनुसंधान एवं विकास केंद्र, प्रयोग केंद्र

5.45 वास्तव्य केंद्र

5.46 धार्मिक प्रसारण

5.47 धार्मिक प्रसारण, केंद्र, धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक

5.48 धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक

5.49 धार्मिक / धार्मिक धार्मिक धार्मिक

5.50 धार्मिक

5.51 धार्मिक केंद्र

5.52 धार्मिक धार्मिक

5.53 धार्मिक धार्मिक

5.54 धार्मिक

5.55 धार्मिक एवं धार्मिक धार्मिक

5.56 धार्मिक एवं धार्मिक धार्मिक

5.57 धार्मिक धार्मिक

5.58 धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक

5.59 धार्मिक धार्मिक, धार्मिक धार्मिक

5.60 धार्मिक धार्मिक

5.61 धार्मिक धार्मिक

5.62 धार्मिक धार्मिक, धार्मिक धार्मिक धार्मिक धार्मिक

दैनिक उपयोग की अनुस्यू दुकानों की सूची

1. जनरल ओरिएण्ट स्टोर
2. वैदिक उपयोग की नमसुंगें सधा-दूध, जेल, गकरदल, अण्डा, शर्दि
3. सधौ एवं फल
4. फलों के भूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. चाय, बीड़ी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर / भौतिक
8. स्टेशनरी
9. लाइविंग क्वार्टरेंट, पैगल, आदि
10. भिराने / सगलीन / कसबा, इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेनीजोन बूथ, पीसीओ
13. रेडीमेल गारमेंट
14. बटुते जर्जर
15. एम्वेय क्राफ्ट
16. हथर ड्रेसिंग
17. टेजरिंग
18. सली परम्पत
19. कपड़ों-सुनाई एवं पेन्टिंग
20. केबल टीवी सर्वोलन वीडियो पालर
21. लावर शाय
22. विदुत उपकरण
23. डाइनेयर
24. लायर एचर की दुकानें
25. कगड़े इस्ती करना
26. सनरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

पेसा / बुटीर (प्रिट्यूबसिडित) एल्युमिनी की सुनो

1. एल्यूमीनियम-सिलिकेट
2. एल्यूमीनियम, रजिनी, आदि की अतिरिक्त तथा गहरात
3. गुणवत्ता, एल्यूमीनियम की संरचना, इत्यादि
4. मोटर कार, मोटर-साइकिल, स्कूटर, साइकिल आदि की सिलिकेट एवं सिलिकेट
5. प्रिंटिंग प्रेस तथा कुछ बर्तन
6. शोरा तथा चोरी का कार्य
7. कपड़ा एवं बुनाई
8. बूटों का चोरी तैयार करना
9. टेल्फोन व बुटीर
10. दवाई, कागज, मोटर कार
11. बस्ती, गेन, बस्ती की संरचना
12. साइकिल बोर्ड इत्यादि (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो प्रिंटिंग
14. जूता संरचना
15. विद्युत उपकरणों की संरचना
16. बस्ती, कपड़े, बस्ती
17. साइकिल चाली (10 अरब अंकित तक)
18. फर्नीचर
19. सस्तरुप सेवा उद्योग

Proposed Metro Map



विषय:-मुखण्ड संख्या 11, 11ए, 12 एवम 13 खलासी लाईन आवास संख्या 7/98, 7/99 तिलक नगर, कानपुर पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग परियोजना की T.O.D. पालिसी के अन्तर्गत, स्वीकृति के सम्बन्ध में.

गहोदय.

आपके सौजन्य से उत्तर प्रदेश में अपराधमुक्त, गन्धर्वमुक्त सुशासन एवम रामराज्य की स्थापना करने के लिए कोटिशः धन्यवाद। प्रदेश का हर जनमानस अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उधमी एवम व्यापारी अपने व्यापार एवम उद्योगों का विस्तार अब यू०पी० में ही स्थापित करना चाहता है।

प्रार्थी ने ग्रुप हाउसिंग परियोजना के अनुमोदन हेतु U.P.O.D.P.A.S. पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था। कानपुर विकास प्राधिकरण से उक्त परियोजना को T.O.D. जोन में होने का प्रमाणपत्र दिनांक 10.06.2021 को प्राप्त कर लिया गया था। दिनांक 24.08.2022 के पूर्व से लागू T.O.D. नीति 04.03.2015 के अन्तर्गत गेरे द्वारा अपनी परियोजना की प्लानिंग करते हुए 500 करोड़ रुपया निवेश करने हेतु एम०ओ०यू० स्वीकृत हो गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि "टी.ओ.डी. जोन्स के अन्तर्गत आने के कारण प्रार्थी ने "टी.ओ.डी.नीति के अनुसार मानचित्र के०डी०ए० में समस्त कार्यवाही एक साल तक पूरी करने के उपरान्त 13.05.2022 को सम्मिलित कर दिया था जो कि 13 बार संशोधन होने के बाद, पुनः दो माह के उपरान्त दिनांक 16.07.2022 को आनलाईन प्री-एप्रूवल हुआ है। यहकि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 12 NOC's सरकारी निकायों, विभागों से गौंयी गयी थी जिसमें से हमे ज्यादातर की प्राप्ति हो गयी है और शेष के लिए प्रयासरत है। परन्तु इसी गन्धर्व उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवम शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी "उत्तर प्रदेश ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति 2022 दिनांक 24.08.2022 जारी की गयी जिसमें शहर की प्रगति और Development के उद्देश्य से टी.ओ.डी.नीति चालू रखी गयी और 30 फीसदी कामर्शियल मीं बनाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गयी कि वह मेट्रो से 500 मीटर की पेरिधि के अन्दर होनी चाहिए। उक्त नीति के प्रसार 3.2.2 में निम्नोक्ति प्राविधान अंकित कर दिए जाने के कारण मेरे भवन मानचित्र के स्वीकृति की प्रक्रिया स्थगित हो गयी है:-

"टी.ओ.डी. जोन्स के अन्तर्गत टी.ओ.डी. नीति के संचालन एवम टी.ओ.डी. योजना की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित टी.ओ.डी. जोन के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से अपेक्षित होगा।"

हमने NOC's आनलाईन जमा करना था और अगले वरण/स्तर पर जाना था, यह जानकर आश्चर्य हुआ कि "टी.ओ.डी. नीतियों के सम्बन्ध में जोनल विनियमन पुनर्विचार किया जा रहा है। प्रस्तर 3.2.2 के कारण उसी बीच सारी कार्यवाही स्थगित हो गयी। इस दिशा में हमने अपने अमूल्य समय के साथ-साथ करोड़ों रुपये अन्य मदों पर खर्च कर दिये हैं। नई नीति में भी हमारी भूगि 500 मीटर के अन्तर्गत आती है जो कि OSA मेट्रो लाईन से सिर्फ 200 मीटर के अन्दर है, स्वीकारयोग्य है।

उपरोक्त शासनादेश/नीति जारी होने के पश्चात् हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर नगर के टी.ओ.डी. जोन के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार कराने एवम उसे अनुमोदित कराने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कानपुर द्वारा की जा रही है।

शहरी नियोजन विभाग श्री गोकर्न जी को अपनी वस्तु स्थिति प्रमाण के साथ प्रस्तुत की दिनांक 24.08.2022 के पूर्व से लागू T.O.D. नीति 2015 में भी हमारी जमीन T.O.D. में आने के कारण नक्शा पोर्टल पर कुछ शर्तों के साथ प्री-एप्लूड हो गया था और विशेष रूप से सरकार की जो नई नीति उसमें मेट्रो रो 500 मीटर की सीमा के अन्तर्गत है। अतएव दोनों परिस्थिति में हम T.O.D. के हकदार हैं।

प्रमुख सचिव, आवास एवम शहरी नियोजन विभाग का यह एक प्रशंशनीय एवम अनुकरणीय कदम था कि इस प्रकरण पर उन्होंने एक कमेटी गठित कर उपरोक्त तथ्यों का शत्यापन करवाया तथा आख्या कागपुर व लखनऊ विकास प्राधिकरण से माँगी कि जो आवेदन दोनों स्कीमों दिनांक 04.03.2015 व 24.08.2022 में स्वीकृति योग्य है, उनका निवरण भी सफल रूप से कराया जाए। परन्तु ~~सुसंस्थित~~ आजा तक निवरण पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है जिससे अग्रिम कार्यवाही अभी भी लम्बित है। ~~कमिशनर से तत्पश्चात् 24.08.2022 को~~

आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्रदेश की प्रगति के हित में जो प्रकरण 24.08.2022 की तिथि से पहले निवर्तमान ट्रान्जिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2015 के अन्तर्गत स्वीकृति योग्य थे एवम आर्वाई कर चुके थे और नई ट्रान्जिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के अन्तर्गत 500 मीटर गैट्रो लाईन के अन्दर आने के कारण ट्रान्जिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति के अन्दर स्वीकार योग्य हैं उनको न रोक जाये ताकि उत्तर प्रदेश का विकास सही दिशा में हो सके और अनाग्रह्यक समग्र, धन व प्रगति में रूकावट न हो, जो कि वर्तमान में एक प्रशंशनीय कार्य होगा। इस तारतम्य में प्रमुख सचिव, आवास एवम शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बन्धित प्रमाण प्रेषित किए जा चुके हैं जिस पर सकारात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रारित कर प्रार्थी को अनुग्रहित करने की कृपा करें।

सादर निवेदित,

प्रार्थी

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

(गहेश चन्द्र जैन)

पार्टनर

पलोगा रियल्टी एलएलपी,

60/62, नयागंज, कानपुर-208001.

प्रतिलिपि:-1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।

2. अपर मुख्य सचिव, आवास एवम शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उनके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही कराते हुए हमारी समस्या का शीघ्र/तिथीय निस्तारण करवाने की कृपा करें।

समादौजीवन करना;

(नो) टी.ओ.डी. के लिये अलग अलग सॉफ्टवेयर मतलबोरागी निर्माण /सबोक्षिप करना, टी.ओ.डी. के कियानामन हेतु जर्मनिंग सेकुनेशन और मेकनोमनिविधि के प्राक्धानों को समर्थ कर्नाग।

(तीन) टी.ओ.डी. जीवन के लिये जेनल डेवलपमेंट पदार्थ का निर्माण करना अथवा टी.ओ.डी. जेन के लिये जेनल डेवलपमेंट स्कान तैयार करने हेतु इन्जिण्ट एजेंसी से सम्न्ध करवा औरी स्थिती और आवंरमकपा हो।

(चार) इन्जिण्ट एजेंसियों द्वारा तैयार किये गये जेनल डेवलपमेंट प्लान और डिगनासार्ग कम्पनियों द्वारा तैयार की गयी टी.ओ.डी. स्कैम को एक एबीकलॉ सभिति, जिलो विकास प्रतिकरण, इन्जिनिंग एजेंसियों और अन्य संबंधित विगार्गों/सेवा प्रदत्ता संस्थाओं के इन्जिनिअर शामिल हैं, के माधुम से सर्किट करना और एररर करे संसुध करना;

(पांच) जेनल डेवलपमेंट प्लान में जिन्हिड टी.ओ.डी. जेन के लिये एबीकल नुमुख अवस्थाना और शैवलों के प्रस्तावों को तैयार एवं कायचित्त करना;

(छ) सैम पुरिग और नुनि आगेलन में सहायता करना; और (साठ) इन्जिण्ट विल्लिय आरजीयता तथा कवर(रकन)सक उन्मथन के हिन्दे राज्य सरकार और इन्जिण्ट एजेंसी के राजा पत्रगर्ग से टी.ओ.डी. स्कैम संसाधनों से सुचारु रूप से श्या मॉनि के उद्देश्य से निजि (बी. सी.एफ.) प्रवाड एंड की स्थापना तथा आय की डिस्सेन्सरी का अनुभव सहजदित किना जाना, जो संदीधित पक्षों पर वाध्यकारी हो।

3.6.3 इन्जिण्ट एजेंसी के निम्नलिखित साक्षित होंगे:-

(एक) इन्जिण्ट परियोजना की तथा प्रयोज्य नियोजन, अभिकल्पन, किरान्मथन, संवादन और अनुस्थापन;

(दो) विकास इन्जिक्शन के परामर्श से राय आवश्यकता टी.ओ.डी. जेन के लिये जेनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना;

(तीन) जेनल डेवलपमेंट प्लान की संरचना हेतु ललित सनितियां, स्वीकृत सगिति और राज्य सनायक सगितियों में प्रशिक्षित्व करना; और

(चार) एकल धारिता से या निम्नसकलॉजों/राज्य सरकारों संस्थाओं की सहभागिता से टी.ओ.डी. स्कैम तैयार एवं किओ न्दन करना।

3.7 पारीनादेन संख्या-02/आर उ-15 198 विविध / 2014, दिनांक 04.03.2013 के विन्दु संख्या 1 (नये विकास में प्रविड उपयोग) तथा विन्दु संख्या-2.8 (टी.ओ.डी.


१०. अथवा, सप्तमः श्लोकः अथवा, सप्तमः श्लोकः ।
११. विष्णुः प्रसिद्धः । अथवा, विष्णुः प्रसिद्धः ।
१२. एवमेव । अथवा, एवमेव ।
१३. अथवा, एवमेव । अथवा, एवमेव ।
१४. अथवा, एवमेव । अथवा, एवमेव ।
१५. अथवा, एवमेव । अथवा, एवमेव ।

115

2019-2020

15

10



श्री नरेशा खन्ना जी,
राष्ट्रपति,
मेसर्स पद्मोष्मा रियल्टी एंटरप्राइस
60/62, नयागंज, बंगलूरु शहर।

विषय-भूखण्ड संख्या-11, 11ए, 12 व 13 खसारी लार्डन के प्राधिकरण द्वारा चिन्हित डी0ओ0डी0 जमीन के अन्तर्गत जमीन के सम्बन्ध में।

प्रतिबद्ध

हस्ताक्षर भूखण्ड संख्या-11, 11ए, 12 व 13 खसारी लार्डन के प्राधिकरण द्वारा चिन्हित डी0ओ0डी0 जमीन के अन्तर्गत होने के सम्बन्ध में स्वकीय तत्त्व निम्न-09.06.2021 को सन्तर्न प्रमाण करने का कानून है। जिसने अधिकार द्वारा सन्तर्न तथा लार्डन तत्त्व एवं लोकेशन प्रमाण के दृष्टिगत उपरोक्त भूखण्डों से आधिकारित भूमि के हस्ताक्षर मैट्रो के एंटरप्राइस के सम्पत्ति अन्तर्गत भाग-2021 के मानचित्र पर चिन्हित डी0ओ0डी0 जमीन के अन्तर्गत होने सम्बन्धी जानकारी चाही गई है।


उपरोक्त के सम्बन्ध में जगज्ज कराना है कि हस्ताक्षर संख्या-03/8-9-115-198 विधि/14 दिनांक-04.06.2018 के मध्यम से शासक द्वारा निर्गत 'ट्रान्जिट ऑरिएण्टेड डेवलपमेन्ट' (डी0ओ0डी0) जमीन पॉलिसी के प्राधिकरणों के अन्तर्गत 'ट्रान्जिट ऑरिएण्टेड डेवलपमेन्ट' (डी0ओ0डी0) जमीन के सिद्धांत के सम्बन्ध में गठित समिति की संसूक्ति को प्राधिकरण बोर्ड की 132वीं बैठक दिनांक-28.03.2021 में बोर्ड को सन्तर्न अनुमतिपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिससे बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। चिन्हित डी0ओ0डी0 जमीन के मानचित्र के अनुसार संसूचित भूखण्डों से आधिकारित भूमि डी0ओ0डी0 जमीन के अन्तर्गत आती है।

तथा उपरोक्त अनुसार अन्तर्गत होने का कानून है।

भारतीय

10/6/21

(ज्योति प्रसाद)
नगर नियोजक



सेवा में

कागदपुर

निदेशक, संचालन,

उपग्रह सेवा कार्यक्षेत्र,

प्रशासनिक भवन, निरुद्ध डा. श्रीधराव आनंदकर,

सामाजिक परिवर्तन स्थल, विभिन्न खन्ड गोमटी नगर,

संखनक-226010।

विषय:- उपग्रह ऑरिएन्टेड डेवलपमेंट नीति-2022 के प्राविधानों के अन्तर्गत टीओएडीओ जॉन का जॉनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करायें जाने के संस्करण में।

महोदय,

प्रस्ताव, वर्तमान में शासन द्वारा प्रदेश में शहरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के जो रहे निरन्तर विलस एवं वर्तमान आपव्यवस्थाओं की पूर्ति के दृष्टिगत नेशनल ट्रांजिट ऑरिएन्टेड डेवलपमेंट पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में उक्त संसन्देश दिनांक-04.03.2015 द्वारा निर्गत नीति को और अधिक व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से शासनदेश संख्या-2120/आर-3-22-199 विधि/14 दिनांक-24.08.2022 के द्वारा उपग्रह ऑरिएन्टेड डेवलपमेंट नीति-2022 निर्गत की गई है जिसकी प्रति संलग्न है। उपरोक्त नीति के प्रस्ताव-3.3.2 में टीओएडीओ जॉन के लिए जॉनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करायें जाने की व्यवस्था है। उक्त के तान्त्रिक में शासन स्तर पर आहूत बैठकों में यूओपीओएमओसीओ द्वारा टीओएडीओ जॉन के जॉनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करायें जाने की सहमति दी गयी थी जिस हेतु यूओपीओएमओसीओ द्वारा टीओएडीओ जॉन के धनराशि की मांग नहीं की जायेगी, इसी क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उओएओ से उओएओ ट्रांजिट ऑरिएन्टेड डेवलपमेंट नीति-2022 के कियामतान के संस्करण में दिनांक-07.09.2022 के माध्यम शहरी नियोजन विभाग, उओएओ शासन, संखनक-949/गोमटी(2)/टीओएडीओ/2022-23 दिनांक-07.09.2022 को सचिव, आवास एवं संख्या-2 के अनुसार टीओएडीओ जॉन के जॉनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करायें जाने हेतु ट्रांजिट ऑरिएन्टेड डेवलपमेंट आर्डिन संख्या-135/13 पर प्रस्ताव इस प्रसिद्धि/सर्व की "जॉनल डेवलपमेंट प्लान" तैयार किये जाने पर जाने वाला व्यव यूओपीओएमओसीओ द्वारा स्वयं यहाँ किया जायेगा एवं उक्त कार्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार किये जायेगा" के साथ कि रत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड द्वारा संस्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदन किय गथा।

अतः उपरोक्तानुक्रम में बोर्ड प्रसिद्ध एवं कार्यवाही पर करायें एवं लक्ष्य करे। प्रकरण में तदनुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध/प्राथमिकता पर करायें एवं लक्ष्य करे। संलग्नक-यथोपरि।

महोदय

11/11/22
(श्रीधर वैश्य)

सचिव

पृष्ठांक- डे/ / सचिव / संवि / कांविप्रा / 2022-23

दिनांक :

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं ग्रहरी नियोजन विभाग, उओएओ शासन, संखनक को श्रादर सूचनार्थ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उओएओ, संखनक को सूचनार्थ।
3. उपस्थित महोदय को श्रादर सूचनार्थ।
4. निदेशक, आवास वन्ड, उओएओ, संखनक को सूचनार्थ।

11/11/22

सचिव

श्री श्रीधर वैश्य

[illegible]

(१०) दौ.ओ.ई. जून्स के अनुसार विकास/विर्माण की अनुपति के द्वारा उद्. १०२ योजना और विकास (विकास) श्रृंखला का निर्धारण, उद्. १०३ एवं १०४ (अ) अनुसूची, १०४ के अनुसूची-३ की व्यवस्थानुसार सवत नियमावली की अनुसूची में विहित विकास श्रृंखला का २६ पाँचवाँ से अंतिम वि. क्रम श्रृंखला उद्. १०३ की संख्या

19. इसका मतलब एफ.ए.आर. के अनुसार भारत सरकार द्वारा 1927/8-28-29-30-31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1943/44, 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1952/53, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28, 2028/29, 2029/30, 2030/31, 2031/32, 2032/33, 2033/34, 2034/35, 2035/36, 2036/37, 2037/38, 2038/39, 2039/40, 2040/41, 2041/42, 2042/43, 2043/44, 2044/45, 2045/46, 2046/47, 2047/48, 2048/49, 2049/50, 2050/51, 2051/52, 2052/53, 2053/54, 2054/55, 2055/56, 2056/57, 2057/58, 2058/59, 2059/60, 2060/61, 2061/62, 2062/63, 2063/64, 2064/65, 2065/66, 2066/67, 2067/68, 2068/69, 2069/70, 2070/71, 2071/72, 2072/73, 2073/74, 2074/75, 2075/76, 2076/77, 2077/78, 2078/79, 2079/80, 2080/81, 2081/82, 2082/83, 2083/84, 2084/85, 2085/86, 2086/87, 2087/88, 2088/89, 2089/90, 2090/91, 2091/92, 2092/93, 2093/94, 2094/95, 2095/96, 2096/97, 2097/98, 2098/99, 2099/00, 2100/01, 2101/02, 2102/03, 2103/04, 2104/05, 2105/06, 2106/07, 2107/08, 2108/09, 2109/10, 2110/11, 2111/12, 2112/13, 2113/14, 2114/15, 2115/16, 2116/17, 2117/18, 2118/19, 2119/20, 2120/21, 2121/22, 2122/23, 2123/24, 2124/25, 2125/26, 2126/27, 2127/28, 2128/29, 2129/30, 2130/31, 2131/32, 2132/33, 2133/34, 2134/35, 2135/36, 2136/37, 2137/38, 2138/39, 2139/40, 2140/41, 2141/42, 2142/43, 2143/44, 2144/45, 2145/46, 2146/47, 2147/48, 2148/49, 2149/50, 2150/51, 2151/52, 2152/53, 2153/54, 2154/55, 2155/56, 2156/57, 2157/58, 2158/59, 2159/60, 2160/61, 2161/62, 2162/63, 2163/64, 2164/65, 2165/66, 2166/67, 2167/68, 2168/69, 2169/70, 2170/71, 2171/72, 2172/73, 2173/74, 2174/75, 2175/76, 2176/77, 2177/78, 2178/79, 2179/80, 2180/81, 2181/82, 2182/83, 2183/84, 2184/85, 2185/86, 2186/87, 2187/88, 2188/89, 2189/90, 2190/91, 2191/92, 2192/93, 2193/94, 2194/95, 2195/96, 2196/97, 2197/98, 2198/99, 2199/00, 2200/01, 2201/02, 2202/03, 2203/04, 2204/05, 2205/06, 2206/07, 2207/08, 2208/09, 2209/10, 2210/11, 2211/12, 2212/13, 2213/14, 2214/15, 2215/16, 2216/17, 2217/18, 2218/19, 2219/20, 2220/21, 2221/22, 2222/23, 2223/24, 2224/25, 2225/26, 2226/27, 2227/28, 2228/29, 2229/30, 2230/31, 2231/32, 2232/33, 2233/34, 2234/35, 2235/36, 2236/37, 2237/38, 2238/39, 2239/40, 2240/41, 2241/42, 2242/43, 2243/44, 2244/45, 2245/46, 2246/47, 2247/48, 2248/49, 2249/50, 2250/51, 2251/52, 2252/53, 2253/54, 2254/55, 2255/56, 2256/57, 2257/58, 2258/59, 2259/60, 2260/61, 2261/62, 2262/63, 2263/64, 2264/65, 2265/66, 2266/67, 2267/68, 2268/69, 2269/70, 2270/71, 2271/72, 2272/73, 2273/74, 2274/75, 2275/76, 2276/77, 2277/78, 2278/79, 2279/80, 2280/81, 2281/82, 2282/83, 2283/84, 2284/85, 2285/86, 2286/87, 2287/88, 2288/89, 2289/90, 2290/91, 2291/92, 2292/93, 2293/94, 2294/95, 2295/96, 2296/97, 2297/98, 2298/99, 2299/00, 2300/01, 2301/02, 2302/03, 2303/04, 2304/05, 2305/06, 2306/07, 2307/08, 2308/09, 2309/10, 2310/11, 2311/12, 2312/13, 2313/14, 2314/15, 2315/16, 2316/17, 2317/18, 2318/19, 2319/20, 2320/21, 2321/22, 2322/23, 2323/24, 2324/25, 2325/26, 2326/27, 2327/28, 2328/29, 2329/30, 2330/31, 2331/32, 2332/33, 2333/34, 2334/35, 2335/36, 2336/37, 2337/38, 2338/39, 2339/40, 2340/41, 2341/42, 2342/43, 2343/44, 2344/45, 2345/46, 2346/47, 2347/48, 2348/49, 2349/50, 2350/51, 2351/52, 2352/53, 2353/54, 2354/55, 2355/56, 2356/57, 2357/58, 2358/59, 2359/60, 2360/61, 2361/62, 2362/63, 2363/64, 2364/65, 2365/66, 2366/67, 2367/68, 2368/69, 2369/70, 2370/71, 2371/72, 2372/73, 2373/74, 2374/75, 2375/76, 2376/77, 2377/78, 2378/79, 2379/80, 2380/81, 23

vii) दो पाँची, जिन में ऊपरपट्ट क्रय—एक अक्षर पर ठगिंकि एक रुपय की अनुमति हेतु दिल्ली प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपमंडली ने शासनादेशों अध्या-२०२०/२०२० दिनांक 11-12-2020 दिनांक 27.9.2020 के अधीन आई सलाहकारों में निर्देश अधिनियम एवं कठिना तथा भवन निर्माण एवं विकास उपमंडली व राज्य संग्रह अनुमति उपमंडली / शासनादेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

[illegible]

भूमिजिज्ञासा/निरुक्तिज्ञान क्षेत्र में विद्वत्प्राधान्य मुख्यण्डों का आकार होता होने के कारण अनुनन्द एतदुक्तान् के सपथान् । अथैवैरिक् कदिनाई है समकते है अतः ही उक्तो कोन के अर्थार्थ एक व उक्तो मुख्यण्डों/सम्यक्निर्णय का आकार अनुनन्द होना उक्तो मुख्यण्ड में दूहे एर राजकल न जाहए वर अनुनन्द भू-उत्पत्तिवर्ग ही एक राजकल के अनुसार निर्माण होने से भूमि आ समुद्रि/क्षेत्रम उपयोग सम्भव है सके । एक से अधिक मुख्यण्डों को आंगन को अनुज्ञा निम्न शरी एवं प्रतिस्पर्धों को निर्माण देव व नी-

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना / जो-सु सुचना एवं योजनाओं की माहौल में प्रसारित करके जनता को सूचित करने के लिए।

शिला सजीव प्रोत्साहन तथा संरक्षित विभाजित
चार खम्भा कुआर काजलमत्त कानपुर नगर
E-mail: kanudikumar@gmail.com

पत्रांक - 52 / समाधिस्थ. संज्ञा / निष्कर्ष (अ.र.) / 2022-23
दिनांक 24.04.2023

- [illegible]

विषय - स्लीमल इन्वेस्टर्स समित वर्ष 2022-23 से लक्ष्मियों / निवेशकों द्वारा किये गये ऐंग्लो
ष के दिशान्तरण के सम्बन्ध में।

- विषय -** रॉबिन्सन इन्वैस्टर्स समिट वर्ष 2022-23 में उद्योगियों/निवेशकों द्वारा किया गया एम.ओ.यू. के सन्देश है।

संशोधन संस्था 05/07/2023 को सविनय निवेदन आदेश जारी किया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया को सारा संशोधन प्रस्ताव को अनुसंधान अपने विभाग से संबंधित बुनियादी/तत्त्वपरिभाषा से संबंधित एवं संशोधन एवं प्रोजेक्ट से संबंधित उपस्थित होने का पत्र भेजें।

क्र.सं.	इकाई का नाम व पता	संस्था का नाम	संस्था का पता	संस्था का नाम	संस्था का पता	संस्था का नाम	संस्था का पता	संस्था का नाम	संस्था का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	Paloma Reactor	300 Area	New Mexico	Los Alamos	Los Alamos	Los Alamos	Los Alamos	Los Alamos	Los Alamos

② 12/12/2023

③ 12/12/2023

(सुधीर कुमार शर्मा)

संस्था का नाम

संस्था का नाम

संस्था का नाम

संस्था का नाम

संस्था का नाम : 12/12/2023

संस्था का नाम : 12/12/2023

संस्था का नाम : 12/12/2023

संस्था का नाम : 12/12/2023

(सुधीर कुमार शर्मा)

संस्था का नाम

संस्था का नाम

संस्था का नाम

संस्था का नाम

① Project Infrastructure Details (12/12/2023)

② 300 Area Projected Development (12/12/2023)

③ Project Details (12/12/2023)

④ Project Details (12/12/2023)

Step 1 – Register

- To Register online at Invest UP as an Investor, fill Full Name, Designation, Company/Industry/Organization Name, Email ID & Mobile No. in the respective fields on registration panel of Nivesh Sarathi Portal and click on Register button.
- Thereafter, entered Email ID & Mobile No. will be verified through One Time Passwords (OTPs). After verification, your registration will be completed and an auto-generated password will be sent on the registered Email ID & Mobile No.

Step 2- Login

- Fill registered Email ID in respective field, click on **Verify Email** button then fill Password and click on **Login** button.

-OR-

- To login through OTP verification, enter your registered Email ID in respective field, click on **Verify Email** button and thereafter click on **Login through OTP Verification** link. Thereafter, OTP will be sent on the registered Email ID/Mobile No. for verification. After verification, you will be logged in.

**** Reset Password, if forgot**

- Click on **Forgot Password?** link available on Login panel and enter the registered Email ID on next step.
- Thereafter, an OTP will be sent on the registered Mobile No./Email ID. Fill that OTP in respective field and click on **Verify** button.
- After verification, user will be redirected to create their New Password.

Step 3 – Create Company Profile

Once the user is Logged In, he/she will have to create Company Profile by submitting following details:

- **Basic Information**
 - Type of Organization
 - Company Website (URL)
- **Company Address**
 - Country
 - State
 - District
 - Company Address
 - PIN Code/ZIP Code
 - Phone Number

- Upload Signature of Witness (File Format: JPEG/JPG | Max File Size: 200 KB)
- Upload Signature of Investor (File Format: JPEG/JPG | Max File Size: 200 KB)

After filling the above details, click on **Submit** button. User will be redirected to the dashboard thereafter.

After submission of above details in respective fields, no changes will be allowed in the application. Hence investors are advised to verify the filled details before submission.

Along with, Intent will also be forwarded to the Invest UP for MoU Signing. Acceptance/Rejection of Intent or MoU Signing will be notified to Investor through SMS, Email and on their dashboard.

If Invest UP raises any query in relation to the application then it has to be answered by the Investor within stipulated time. Thereafter, Invest UP will scrutiny the application and process the same.

C. Request for Facilitation

If Investor requires Facilitation from the Government then he/she can request for facilitation in following two ways:

- (i) Go to the Filed Intent section and click on **Request Facilitation** button (if Intent is filed online and MoU signing is pending or signed), or
- (ii) By clicking on **Facilitation Requests** side menu or **Request for Facilitation** button available on the dashboard (if the MoU signed is offline/online). In both cases, Investor will have to submit following details:

- MoU Number or Application ID of Project (if applicable)

C.1. Land Facilitation Details

- Land Facilitation Details
 - Does your project require land? If YES, then fill
 - Whether Land required under Fasttrack mode? (Yes/No)
 - Area of Land Required (in Square Meter)
 - Have you identified the Land? If YES, then fill
 - Type of Land Identified i.e., 'Government' or 'Private'
 - If Government Land, then fill
 - Industrial Development Authority
 - Industrial Area
 - If Private Land, then fill
 - Address of Land

- To change the password, click on User icon available on the top right corner of the login screen, click on **Change Password** menu and fill following details on next step:

- Current Password
- New Password
- Retype New Password

- After filling the above details, click on **Change Password** button. Password will be changed thereafter.



भारत सरकार
Government of India


भारतीय विशिष्ट पहचान प्रमाणपत्र
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 1338/20527/14742

Download Date: 26/07/2021

To:
मेरी पत्नी
Mahesh Chandra Jain
S/O: Bairasai Das Jain
603-8
TAGORE ROAD
Kanpur
Kanpur
Kanjur Nagar, Uttar Pradesh - 200001
9883000535

Issue Date: 26/08/2014




आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No.:

4551 8769 0606

UID: 9188 5919 8538 2944

मेरा आधार, मेरी पहचान



Download Date: 21/07/2021

मेरी पत्नी
Mahesh Chandra Jain
जन्म तिथि/DOB: 11/08/1942
पुरुष MALE

Issue Date: 26/08/2014

4551 8769 0606

UID: 9188 5919 8538 2944

मेरा आधार, मेरी पहचान



सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- पुष्टित QIN कोड / ऑनलाइन XML / ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से प्रमाण प्रमाणित करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।
- Aadhaar is a proof of identity, not of citizenship.
- Verify identity using Secure QIN Code / Online XML / Online XMLU Online Authentication.
- This is electronically generated letter.


INFORMATION

- आधार देश भर में मान्य है।
- आधार कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को पाना सुनिश्चित करता है।
- आधार में मौजूद नंबर और ईनिल ID अपडेट रहें।
- आधार को अपने स्मार्ट फोन पर रखें, mAadhaar App के साथ।
- Aadhaar is valid throughout the country.
- Aadhaar helps you avail various Government and non-Government services easily.
- Keep your mobile number & email ID updated in Aadhaar.
- Carry Aadhaar in your smart phone - use mAadhaar App.



पता
S/O: Mahesh Chandra Jain, 603-8, Tagore Road, Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh - 200001

Address:
S/O: Mahesh Chandra Jain, 603-8, Tagore Road, Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh - 200001



4551 8769 0606

UID: 9188 5919 8538 2944

मेरा आधार, मेरी पहचान

STANDARD BANK

STANDARD BANK

STANDARD BANK

STANDARD BANK

STANDARD BANK

STANDARD BANK

STANDARD BANK

STANDARD BANK

STANDARD BANK

STANDARD BANK

STANDARD BANK